

प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 15 मई, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर-शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

ज्ञातव्य है कि आज दिनांक 15.05.2024 को लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के तहत सातवें चरण के लिए आठ (08) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों (नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम-अ0जा0, काराकाट तथा जहानाबाद) में स्क्रूटनी की तिथि नियत थी। प्राप्त सूचनानुसार नालंदा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से कुल तैंतीस (33) अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था स्क्रूटनी के बाद उनतीस (29) अभ्यर्थी चुनाव में हैं। पटना साहिब लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से कुल तीस (30) अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था स्क्रूटनी के बाद सत्रह (17) अभ्यर्थी चुनाव में हैं। पाटलिपुत्र लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से कुल चौबीस (24) अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था स्क्रूटनी के बाद बाईस (22) अभ्यर्थी चुनाव में हैं। आरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से कुल बाईस (22) अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था स्क्रूटनी के बाद चौदह (14) अभ्यर्थी चुनाव में हैं। बक्सर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से कुल सत्ताईस (27) अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था स्क्रूटनी के बाद पन्द्रह (15) अभ्यर्थी चुनाव में हैं। सासाराम-अ0जा0 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से कुल चौदह (14) अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था स्क्रूटनी के बाद दस (10) अभ्यर्थी चुनाव में हैं। काराकाट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से कुल सत्ताईस (27) अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था स्क्रूटनी के बाद चौदह (14) अभ्यर्थी चुनाव में हैं। जहानाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से कुल चालीस (40) अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था स्क्रूटनी के बाद सत्रह (17) अभ्यर्थी चुनाव में हैं।

विदित हो कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के सातवें चरण के साथ ही अगिआँव (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप चुनाव की तिथि नियत है जिसके लिए अब तक कुल नौ (09) अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है स्क्रूटनी के बाद सभी नौ (09) अभ्यर्थी चुनाव में हैं।

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में वाहन दुरुपयोग के संदर्भ में औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01) मामला प्रतिवेदित है। लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के तहत भागलपुर जिलांतर्गत एक (01) मामला प्रतिवेदित है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में नौ (09) मामले प्रतिवेदित हैं जो क्रमेण इस प्रकार हैं-औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01), पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत पाँच (05) एवं सहरसा जिलांतर्गत तीन (03)। इस संदर्भ में आठ (08) एफआईआर दर्ज हैं।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 14.05.2024 को कुल ₹17.25050(लाख) रुपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लीकर-20602.64(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य ₹40.27022(लाख) रुपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल ₹1.50828(लाख) रुपये मूल्य के 10716.50(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल ₹40.56442(लाख) रुपये मूल्य की 1359.04 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल ₹99.59342(लाख) रुपये मूल्य की जब्ती प्रतिवेदित है।